

न्यायालय भूमि सुधार उप- समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 40 / 2022-23

अनुसूची -14 फॉर्म सं0- 563

आदेश की कं0सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी												
27/2/24	आवेदक हगरू उरॉव, पिता बालू उरॉव, जाति उरॉव, ग्राम कुम्हारी, थाना – बसिया, जिला- गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table border="1" data-bbox="359 862 1332 1008"> <tr> <th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना सं0</th><th>खाता सं0</th><th>प्लॉट सं0</th><th>रकबा</th><th>जमीन किस्म</th></tr> <tr> <td>कुम्हारी</td><td>117</td><td>271</td><td>123</td><td>0.14 एकड़ भूमि</td><td></td></tr> </table> कुल 0.14 एकड़ भूमि (चौदह डिसमील) प्लॉट सं0 123 का चौहदी :- उत्तर में – टांड धुना उरॉव, दक्षिण में – इसी प्लॉट का अंश, पुरब में – टांड बांदु उरॉव, पश्चिम में – इसी प्लॉट का अंश जमीन विक्रेता का विवरणी हगरू उरॉव, पिता बालू उरॉव, जाति उरॉव, ग्राम कुम्हारी, थाना – बसिया, जिला-गुमला जमीन क्रेता का विवरणी एतवा उरॉव, पिता स्व0 मंगरा उरॉव, जाति उरॉव, ग्राम – चिन्तामनकुरा, थाना – बसिया, जिला गुमला । आवेदक द्वारा आवेदित भूमि को प्रस्तावित क्रेता एतवा उरॉव, पिता स्व0 मंगरा उरॉव, जाति उरॉव, ग्राम – चिन्तामनकुरा, थाना – बसिय जिला- गुमला से राशि 80,000 (अस्सी हजार रुपये)मात्र पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी	राजस्व ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	जमीन किस्म	कुम्हारी	117	271	123	0.14 एकड़ भूमि		
राजस्व ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	जमीन किस्म									
कुम्हारी	117	271	123	0.14 एकड़ भूमि										

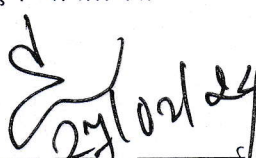


हेतु रुपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांक 311 दिनांक 27/06/2023 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत उराँव जाति के हैं साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

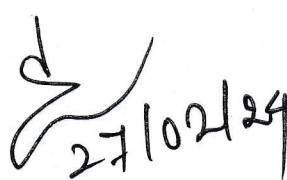
अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक हगरु उराँव, पिता बालू उराँव, जाति उराँव, ग्राम कुम्हारी, थाना - बसिया जिला - गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि 80,000 (अस्सी हजार रुपये) मात्र अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावी नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उप-समाहर्ता
बसिया (गुमला)




भूमि सुधार उप-समाहर्ता
बसिया (गुमला)